संख्या- 1107/एक-10-2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः *19/10/2023*

विषयः- जनपद महराजगंज की निचलौल तहसील के अन्तर्गत सोहगीबरवा क्षेत्र में 03 स्थानों पर स्थाई कम्यूनिटी किचन शेड की स्थापना हेतु रू0 46.74 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपने पत्र संख्या-3206/आपदा सहा0/2023-24 दिनांक 10.07.2023 एवं पत्र संख्या-3214/आपदा सहा0/2023-24 दिनांक 19.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद के तहसील-निचलौल के सोहगीबरवां क्षेत्र में ग्राम-खुटहवां में ***12.66*** लाख , ग्राम-भोतहा में ***16.01*** लाख एवं ग्राम-शिकारपुर में ***18.07*** लाख सहित कुल ***46.74*** लाख के निम्नलिखित तीन आगणन अलग-अलग उपलब्ध कराते हुए स्थायी कम्यूनिटी किचेन शेड के निर्माण हेतु धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम संख्या	योजना का नाम/स्थान	योजना की लागत /कार्यदायी संस्था
1	जनपद महराजगंज में बाढ राहत एवं आपदा बचाव हेतु स्थायी कम्यूनिटी किचेन शेड का निर्माण (80 x 40 x 6)फीट/ खुटहवां (सोहगीबरवां) तहसील-निचलौल	12.66 लाख /प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0 महराजगंज
2	जनपद महराजगंज में बाढ राहत एवं आपदा बचाव केन्द्र महराजगंज (100 x 50 x0 6)फीट/ भोतहा (सोहगीबरवां) तहसील-निचलौल	16.01 लाख /प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0 महराजगंज
3	जनपद महराजगंज में बाढ राहत एवं आपदा बचाव हेतु स्थायी कम्यूनिटी किचेन शेड का निर्माण (100 x 50 x 10)फीट/ शिकारपुर (सोहगीबरवां) तहसील-निचलौल	18.07 लाख /प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0 महराजगंज

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-18.09.2023 में लिए गए निर्णयानुसार जनपद महाराजगंज में प्रस्तावित 03 स्थानोंपर कम्यूनिटी शेडका निर्माण कराये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया गया है कि जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा उक्त शेडों का निर्माण के पूर्व भविष्य में शेडों के रख–रखाव की जिम्मेदारी हेतु पंचायतीराज विभाग से सहमति ले ली जाये। उक्त अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में जनपद महराजगंज के तहसील-निचलौल के सोहगीबरवां क्षेत्र में ग्राम-खुटहवां में ***12.66*** लाख , ग्राम-भोतहा में ***16.01*** लाख एवं ग्राम-शिकारपुर में ***18.07*** लाख सहित कुल ***46.74*** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा देते हुए धनराशि रू0 46.74 लाख जिलाधिकारी महराजगंज के निवर्तन पर निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से आगणन के अनुसार निर्माण कार्य नियमानुसार सम्पन्न कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण से पूर्व सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण कर ही कार्य किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं***o***-33-02/2020-***NDM-I,*** दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा उक्त शेडों के निर्माण के पूर्व भविष्य में शेडों के रख–रखाव की जिम्मेदारी हेतु पंचायतीराज विभाग से सहमति ले ली जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू***0*** 46,74,000/- (रूपये छियालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला

जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by राम केवल
Date: 19-10-2023 17:52:04
Reason: Approved
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्याः- 1107(1)/एक-10-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग महराजगंज।
6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-20/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1107
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1107
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4674000 4674000	4674000 4674000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4674000 4674000	4674000 4674000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियालीस लाख चौहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियालीस लाख चौहत्तर हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन